उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY
(Established under Act 23, 2005)
Vishwavidhyalaya Marg, Near Transport Nagar, Haldwani (Nainital)UTTARAKHAND- 263139
Phone No. :05946-286000
Website: www.uou.ac.in, e-mail: info@uou.ac.in, career@uou.ac.in

Employment Notice No. : UOU/ Add/R3/002/2017-18, Dated : 08 March, 2018

सहायक क्षेत्रीय निदेशक के रिक्त कुल 08 अस्थाई पदों पर चयन हेतु विज्ञप्ति

ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होने की तिथि	**दिनांक 10 मार्च, 2018 (शनिवार)**
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	**दिनांक 10 अप्रैल, 2018 (मंगलवार)**
विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र की हार्डकॉपी (समस्त संलग्नकों सहित) पहुँचने की अंतिम तिथि	**दिनांक 20 अप्रैल, 2018 (शुक्रवार)**

विश्वविद्यालय हेतु सहायक क्षेत्रीय निदेशक (वेतनबैण्ड 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400) के सृजित कुल 08 अस्थाई पद, जिनके भविष्य में भी निरन्तरता की संभावना है, पर चयन हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नवत् है–

आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत चिन्हित पद	
		महिला	अन्य श्रेणी
अनारक्षित	05	02	–
अनुसूचित जाति	02	01	–
अनुसूचित जनजाति	–	–	–
अन्य पिछड़ा वर्ग	01	–	–
योग	**08**	**03**	**–**

(1)– <u>वेतनमान–</u> वेतनबैण्ड 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 (अंशदायी पेन्शन योजना युक्त)।

(2)– <u>अर्हता–</u>

(क)– अनिवार्य अर्हता– स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55% अंकों के साथ।

(ख)– अधिमानी अर्हता– (अ) दूरस्थ शिक्षा/उच्च शिक्षा के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अनुभव।
(ब) इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी का उपयुक्त ज्ञान।

(3)– आवेदन हेतु निर्धारित शुल्कः–

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)	रू0 300/– मात्र
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	रू0 300/– मात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	रू0 150/– मात्र

आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन **(Net Banking/Debit or Credit Card)** **अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी भी शाखा से निर्गत ड्राफ्ट, जो उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के नाम देय हो,** स्वीकार्य होगा। ऑनलाइन अथवा ड्राफ्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन तथा ड्राफ्ट की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रख लें।

(4)– आयु सीमा– ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि 10 अप्रैल, 2018 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु चिन्हित पदों के लिए उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

(5)– चरित्र– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

(6)– राष्ट्रीयताः– आवेदनकर्ता भारत का नागरिक हो।

(7)– वैवाहिक प्रास्थितिः– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी होः

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

(8)– आरक्षणः– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों तथा क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।

क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत उत्तराखण्ड की अधिवासी महिलाओं के लिए चिन्हित पदों पर शासनादेश संख्या 868/XXX(2)/2011, दिनांक 29 अगस्त, 2011 प्रभावी होगा। शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार उत्तराखण्ड की अधिवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पदों को समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए चिन्हित पद की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो आवेदन–पत्र से संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/श्रेणियों/उप श्रेणियों (एक या एक से अधिक जो भी हो) को अवश्य अंकित करें, अन्यथा वे अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल, 2018 तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित होने चाहिए।

(9)– लिखित परीक्षाः–

(i) चयन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामयिकी (Current affairs), सामान्य बुद्धि परीक्षण, दूरस्थ शिक्षा से संबंधित तथा कम्प्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे, जिनमें से एक विकल्प सही उत्तर होगा।

(ii) लिखित परीक्षा प्रश्न–पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(iv) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट **(Answer Sheet)** कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(v) Answer key विश्वविद्यालय वेबसाइट **www.uou.ac.in** पर अपलोड की जायेगी।

(vi) गलत उत्तरों के लिए दण्डः– वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगाः–

(क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा। यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(10) लिखित परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों की प्रवीणता सूची तैयार करने के उपरान्त प्रवीणता क्रम में 01 अनुपात 05 के आधार पर अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर एवं आई0टी0 दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जायेगा। यह परीक्षा 10 अंकों की होगी। इसके पश्चात् साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार 10 अंकों का होगा।

(11) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर एवं आई0टी0 दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक का योग तथा लिखित परीक्षा के अंक भी बराबर हैं तो अधिमानी अर्हता को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि फिर भी दोनों समान स्तर पर हों, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जाएगा तथा आयु भी समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नाम में पहले आने वाले नाम के अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(12) ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 10 अप्रैल, 2018 है।

(13) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.uou.ac.in** में दिये गये निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें और तद्पश्चात् ही आवेदन करें यदि किसी स्तर पर यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने सही सूचना नहीं दी है या निर्देशों का पालन नहीं किया है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(14) आवेदन–पत्र के लिफाफे पर "Application for the post of Assistant Regional Director" अंकित किया जाना अनिवार्य है।

(15) आवेदन–पत्र कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मार्ग, ट्रांसपोर्ट नगर के समीप, हल्द्वानी जिला–नैनीताल के नाम प्रेषित किये जायेंगे।

(16) आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही प्रेषित किये जायें। अन्य माध्यमों से प्रेषित किये जाने वाले आवेदन–पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

(17) आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी विश्वविद्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 20 अप्रैल, 2018 (सायं 05:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा एवं डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी